**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN**
**BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application
No. 185/2026

In
S.B. Criminal Revision Petition No. 718/2026

Munna Singh, Son Of Shri Shankar Singh Rawat, Resident Of Village Raita Kheda, Post Rajiyawas, Tehsil Beawar, Police Station Jawaja, District Ajmer (At Present Confined At Central Jail Ajmer)

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor
2. Shri Pankaj Jain, Son Of Shri Premchand Jain, Proprietor Of Arihant Finance, Mahavir Bazzar, Beawar, Police Station Beawar City, District Ajmer (Raj.)

----Respondents

---

For Petitioner(s) : Mr. J.K. Moolchandani
For Respondent(s) : Mr. Sudesh Kumar Saini, PP

---

**HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI**

**Order**

**24/04/2026**

याची/अभियुक्त **मुन्नासिंह** की ओर से विचारण न्यायालय **विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) ब्यावर** द्वारा दाण्डिक प्रकरण संख्या–**319/2015 (173/2011), पंकज जैन बनाम मुन्ना सिंह** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **21.08.2015** व अपीलीय न्यायालय–**अपर सैशन न्यायाधीश, क्रम–03, ब्यावर, जिला अजमेर** द्वारा फौजदारी अपील संख्या–**15/2018 (58/2015) मुन्ना सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य** में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक **19.07.2019** के विरूद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों

में दोषसिद्ध किया जाकर प्रतिकर सहित अधिकतम एक वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय व अपीलीय न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। याची/अभियुक्त दौराने विचारण एवं अपील के जमानत पर आजाद रहा है तथा उनके द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष समर्पण कर दिया गया है तथा वर्तमान में वह न्यायिक अभिरक्षा में है, प्रस्तुत निगरानी याचिका के निस्तारण में समय लगेगा, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

हमने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने विनिश्चय 2018(2) क्राइम्स पृष्ठ 302 (एस.सी.) सत्येन्द्र कुमार मेहरा उर्फ सतेन्द्र कुमार मेहरा बनाम झारखण्ड, ए.आई.आर. 2001 एस.सी. 659 स्टेनी फैलिक्स पिन्टो बनाम जांगिड़ बिल्डर्स प्रा.लि. व अन्य एवं (2007)6 एस.सी.सी. पृष्ठ 528 दिलीप एस. धानुकर बनाम कोटक महेन्द्र कं.लि. में तथा इस न्यायालय की समकक्ष पीठ ने एस.बी. क्रिमीनल मिस. पिटीशन नंबर 1137/2012 सुरेश चन्द शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में यह निर्णीत किया है कि कारावास का दण्ड स्थगित करते समय न्यायालय ऐसी कुछ युक्तियुक्त शर्तें लगा सकता है तथा यह आदेश पारित कर सकता है कि अर्थदण्ड/प्रतिकर की राशि का युक्तियुक्त भाग जमा करवाया जाए।

अतः उक्त न्यायिक विनिश्चयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों की रोशनी में, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किये बिना, अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित प्रतिकर के क्रम में याची–अभियुक्त द्वारा कुल चैक

राशि का 50 प्रतिशत **90,000/—रूपये का डी.डी.** विचारण न्यायालय में जमा कराने की शर्त पर यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः याची/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि याची/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/—रूपए **(अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000—25000/—रूपए **(अक्षरे पच्चीस—पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दि. **25.05.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा तथा याची द्वारा 9**0,000/— रूपये राशि का डी.डी.** अधीनस्थ/विचारण न्यायालय में जमा करा दिया जावे तो याची/अभियुक्त **मुन्ना सिंह शेखावत पुत्र श्री शंकर सिंह रावत** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन कारावास की सीमा तक इस निगरानी याचिका के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

इस आदेश के तहत याची द्वारा आदेशित राशि का डी.डी. जमा कराने के पश्चात परिवादी की ओर से अधीनस्थ विचारण न्यायालय में इस आदेश की रोशनी में राशि प्राप्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर, अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा जमाशुदा डी.डी. की राशि परिवादी को इन तथ्यों की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर अदा कर दी जाए कि यदि याची इस पुनरीक्षण याचिका में सफल होता है तो उस स्थिति में परिवादी द्वारा इस आदेश के अधीन प्राप्त की गई राशि पुनः याची को 06 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ पुनरीक्षण याचिका के निर्णय के एक माह की अवधि में लौटाने के

लिये बाध्य व तैयार रहेगा, अन्यथा परिवादी इस न्यायालय के आदेश की अवहेलना के लिये दायी होगा।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MAHESH ADWANI /92